राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वंयपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015

फोनः–0141–5150944, 2705067, फैक्सः–0141–2705067

website:http//www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail:rajasthansos@gmail.com

क्रमांकःप.9(11)/SSS/PCP/2014-16 13419 दिनांकः 27/12/16

P.C.P. शिविर हेतु संशोधित दिशा–निर्देश

P.C.P. शिविरों के आयोजन हेतु पत्र क्रमांकःप.9(2)/एस.एस.एस./2013–14/12405–924 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा निर्देश दिये गये थे। जिसमें कई सन्दर्भ केन्द्रों से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली समस्याओं के समाधान के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैंः–

1. सत्रांक योजना के कारण प्रत्येक शिक्षार्थी का PCP शिविर में उपस्थित होना अनिवार्य है। अतः पूर्व निर्धारित संख्या में विषयवार संख्या न होने पर भी प्रति विषय कम से कम 10 विद्यार्थी को स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि यह संख्या इससे भी कम है तो संबंधित विषय में निकटतम केन्द्र पर उन्हें भेजें। यदि अपने केन्द्र पर ही शिविर में वे विद्यार्थी रहना चाहते हैं तो 10 से कम संख्या होने पर उस विषय में केवल 05 दिन शिक्षण कार्य करवायें लेकिन उसी विद्यार्थी की उपस्थिति अन्य विषय में पूरी हो रही हो, को आधार बनाकर तदनुसार ही अंक प्रदान करें।
2. यदि दूरी 30–40 कि.मी. से अधिक है तो ऐसे विद्यार्थियों को निकटतम केन्द्र पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रायोगिक कक्षाओं के लिए समीपस्थ विद्यालय में विद्यार्थियों को भेजें एवं इनके स्थान परिवर्तन का ब्यौरा RSOS कार्यालय को भिजवावें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उन विद्यार्थियों के अंक उनके मूल सन्दर्भ केन्द्र को भिजवा दिये जावें।
3. यदि PCP शिविर में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो समीपस्थ PCP शिविर में विद्यार्थियों को स्थानान्तरित किया जावे एवं यह भी सुनिश्चित करें कि उन विद्यार्थियों के अंक उनके मूल सन्दर्भ केन्द्र को भिजवा दिये जावें।
4. छात्र संख्या अधिक होने पर एक विषयाध्यापक को तीन–चार कालांश लेने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है, लेकिन प्रधानाचार्य को कालांश का मानदेय देय नहीं है।
5. यदि कोई संदर्भ केन्द्र प्रभारी PCP शिविर चलाने में असमर्थ हैं तो स्वयं के स्तर पर अन्य सन्दर्भ केन्द्र पर शिविर संचालित करें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को कारण सहित सूचित करें।
6. जहाँ पर पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है वे पुराने केन्द्रों से अथवा RSOS की वेबसाईट से एक–एक सेट डाउनलोड कर पुस्तकों की व्यवस्था करें।
7. विषयाध्यापकों की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर एवं जिन विद्यालयों को आपके विद्यालय में मर्ज किया गया है उन विद्यालयों से करवायें।
8. ऑनलाईन आवदेन करने वाले विद्यार्थियों का शिविर भी वहीं आयोजित किया जाना है जहाँ उस सन्दर्भ केन्द्र के ऑफलाईन आवदेन करने वाले विद्यार्थियों का शिविर आयोजित हो रहा है।
9. जिन सन्दर्भ केन्द्रों ने PCP शिविर संचालन हेतु अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली थी वे अपने विद्यालय में PCP शिविर संचालित कर सकते हैं।

27/12/16

(महेश चन्द्र गुप्ता)
सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर